मुकाम

जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी

GCMS नं. 2021/149 मुकदमा नं० 34/21 सन् लैण्ड होल्डर

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.7.2021 यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत डालचंद कोली पुत्र मांगीलाल कोली जाति कोली निवासी लाल हवेली के पास, नया बाजार तह0 गंगापुर सिटी की ओर से श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट ने हमारे समक्ष पेश किया गया। प्रार्थी के वकील को सुना गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट दर्ज रजिस्टर किया जावे। तहसीलदार गंगापुर सिटी को प्रार्थना पत्र की प्रति भिजवाकर प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट चाही जावे एवं अप्रार्थी की तलबी जरिए नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 4.8.2021 को पेश हो। जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स०मा०) 4-8-2021 वकील प्रार्थी उप० / लैण्ड होल्डर उप० / तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त रिपोर्ट पर उभयपक्ष को सुना गया / प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा०पत्र 136 L.R. Act स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:14:28 IST
Reason: SelfAttested

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
34/2021	16.7.2021	4.8.2021

डालचन्द कोली पुत्र मांगीलाल कोली जाति कोली निवासी लाल हवेली के पास नया बाजार गंगापुर सिटी ——प्रार्थी

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी ——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित :—श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट प्रार्थी की ओर से
लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी, अप्रार्थी

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि खाता सं0 130 की भूमि ख0नं0 405/276 रकबा 0.16 हैक्टर ग्राम जलोखरा तहसील गंगापुर सिटी में स्थित हैं। उक्त भूमि प्रार्थी द्वारा विजेन्द्र पुत्र परभाती से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.3.2018 को क्रय की गयी। प्रार्थी द्वारा क्रय की गयी भूमि का नक्शा विक्रय पत्र के साथ संलग्न हैं अर्थात मुताबिक नक्शा प्रार्थी द्वारा क्रय की गयी भूमि पूर्वी दिशा की भूमि थी तथा मुताबिक नक्शा ही प्रार्थी को विक्रेता द्वारा मौके पर कब्जा दिया गया तथा प्रार्थी उक्त कब्जे अनुसार ही मौके पर काबिज हैं। प्रार्थी द्वारा क्रय की गयी भूमि का नामान्तकरण प्रार्थी के नाम तस्दीक किया जाकर रेवन्यु रिकार्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम खातेदारी का इन्द्राज हो गया परन्तु नक्शा ट्रेस में गलत तरमीम कर दी गयी। क्योंकि जो भूमि प्रार्थी द्वारा खरीदी गई वह उत्तरी दिशा में न होकर पूर्वी दिशा में है जो रजिस्ट्री में वर्णित है तथा रजिस्ट्री के साथ संलग्न नक्शे में स्पष्ट रूप से दर्शित हैं अर्थात पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थी की भूमि को नक्शा ट्रेस हाल में गलत रूप से तरमीम किया गया जो केवल मात्र लिपिकीय भूल के कारण हुयी गलती हैं। जिसकी न्यायहित में दुरूस्ती की जाकर प्रार्थी की भूमि का नक्शा ट्रेस में वर्तमान तरमीम "उत्तरी दिशा" को निरस्त किया जाकर मुताबिक रजिस्ट्री व उसके साथ संलग्न नक्शे अनुसार "पूर्वी दिशा" में नक्शा ट्रेस में तरमीम के आदेश दिये जाकर तहसीलदारजी से सही तरमीम करवायी जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट मंगवाई गई जो प्राप्त होकर पत्रावली में संलग्न है। अप्रार्थी की ओर से अलग से कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:14:28 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 ग्राम जलोखरा खाता संख्या 130, नकल नक्शा ट्रेस, फोटोकॉपी विक्रय पत्र दिनांक 27.3.2018 प्रस्तुत किये है।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (सं0मा0)

प्राप्त हुई। जिसने तहसीलदार गंगापुर सिटी ने यह दर्शाया है कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के साथ नजरी नक्शा प्राप्त नही हुआ था जिसके कारण नक्शे अनुसार तरमीम नही हो सकी। अब रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के साथ संलग्न किये गये नजरी नक्शा व मौके अनुसार तरमीम को शुद्ध किया जाना उचित है।

प्रार्थना पत्र पर बहस विद्वान वकील प्रार्थी सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुसार बहस करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र की छायाप्रति के अवलोकन से विदित है की विक्रेता विजेन्द्र पुत्र परभाती जाटव द्वारा प्रार्थी के हक मे भूमि ख0न0 276 रकबा 0.44 है0 ग्राम जलोखरा मे 0.16 है0 भूमि पूर्व दिशा की ओर का बेचान किया गया है। इस विक्रय पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा मे भी इस भूमि को पूर्व की ओर ही दर्शित किया गया है। परन्तु इस विक्रय पत्र के आधार पर हॉल नक्शा ट्रेस मे जो तरमीम हुई है उसमे यह 16 एयर भूमि उत्तर दिशा की ओर दर्शायी गई है। जो प्रार्थी द्वारा खरीदी गई भूमि के विपरित है। तहसीलदार गंगापुर सिटी ने भी अपनी रिपोर्ट मे यही बात अंकित की है। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम जलोखरा के नक्शा ट्रेस मे भूमि ख0न0 405/276 रकबा 0.16 है0 की उत्तर दिशा की ओर की गई तरमीम निरस्त कर इसे पूर्व दिशा की ओर 0.16 है0 की सीमा तक दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को लिखा जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 4.8.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:14:28 IST
Reason: SelfAttested